न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./2022/298/अजमेर

विभागीय अपील द्वारा श्री नरेश कुमार जैन, ऑफिस कानूनगो तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, अजमेर क.अ./भू.अ./वि.जां./22/89 दिनांक 17.06.2022 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः— श्री नरेश कुमार जैन, ऑफिस कानूनगो तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर

निर्णय

दिनांकः— 05.12.2022

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 17.06.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए एक ज्ञापन क्रमांक कअ/भू.अ./वि.जा./20/5350 दिनांक 15.10.2020 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः—

आरोप संख्या— 1

आप द्वारा दनांक 08.03.2021 से 08.12.2021 तक की अवधि मे ऑफिस कानूनगो तहसील किशनगढ के पद पर कार्यरत रहते हुए दिनांक 06.09.2021 से दिनांक 26.09.2021 तक आपके पास भू—अभिलेख सिलोरा का अतिरिक्त चार्ज रहा है, के दरमियान आप द्वारा ऑफिस कानूनगो तहसील किशनगढ के पद पर कार्यरत रहते हुए जानबुझकर नियम विरूद्ध, अनाधिकृत, तहसील क्षैत्र/भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र के नियत पटवारी हल्का उदयपुर खुर्द के बजाय अनाधिकृत पटवारी हल्का बीती से पटवार मण्डल उदयपुर खुर्द के ग्राम गोदियाना की नामान्तकरण संख्या 975 (गोदनामा), 976 (विरासत), दिनांक 24.09.2021 तथा दिनांक 28.09.2021 को आपके पास

भू.अ.निरीक्षक वृत सिलोरा का चार्ज नही रहने पर भी व संबंधित भू.अ.निरीक्षक के ड्यूटी पर उपस्थित रहने के उपरान्त भी आप द्वारा जानबुझकर ग्राम गोदियाना के नामान्तकरण संख्या 977 (विरासत) दिनांक 28.09.2021 को अनाधिकृत पटवारी हल्का बीती से नामान्तकरण दर्ज व हस्ताक्षर करवाकर व अपने हस्ताक्षरों से उक्त नामान्तकरण की जांच की गयी है, जिसके लिए आप दोषी है।

आरोप संख्या– 2

आप द्वारा आरोप संख्या 01 मे वर्णित नामान्तकरणो की जांच पश्चात् राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसुचना क्रमांक प–3(17) राज 6/2021/64 दिनांक 18.08.2021 की जानबुझकर अवहेलना कर स्वंय की हस्तलिखावट से सरपंच ग्राम पंचायत सिलोरा की ओर से दिनांक 05.10.2021 को नामान्तकरणो पर निर्णय लिखकर संरपंच ग्राम पंचायत सिलोरा से अनाधिकृत रूप से नामान्तकरण तस्दीक करवाये है, जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या– 3

यह है कि आरोप संख्या 01 व 02 की निरन्तरता मे आप द्वारा नामान्तकरण संख्या 975 (गोदनामा) हेतु पटवारी हल्का उदयपुर खुर्द व भू.अ. निरीक्षक सिलोरा को नामान्तकरण की कार्यवाही संपादित करने की मंशा से जानबुझकर अपने निहित स्वार्थो की पूर्ति के लिए तहसीलदार किशनगढ की मोहर पर स्वंय के हस्ताक्षर कर भू–अभिलेख शाखा के डिस्पेच रजिस्टर्ड क्रमांक/भूअ/21/5079 दिनांक 22.09.2021 से आदेश जारी किये है और नामान्तकरण की कार्यवाही पटवारी हल्का उदयपुर खुर्द के ड्यूटी पर रहते हुए दीगर पटवारी बीती से नामान्तकरण दर्ज करवाकर हस्ताक्षर करवाना तथा आप स्वंय भू.अ. निरीक्षक सिलोरा का कार्यभार नही रखते हुए अनाधिकृत रूप से भू.अ. निरीक्षक सिलोरा की हैसियत से जांच नामान्तकरण करने का दुस्साहस किया है और नामान्तरण पर संरपंच ग्राम पंचायत सिलोरा की ओर से दिनांक 05.10.2021 को स्वंय की हस्तलिखावट से निर्णय लिखकर अनाधिकृत रूप से नामान्तकरण को तस्दीक कराया है। जबकि आप इस तरह के मामलो मे तहसीलदार के पद की मोहर का बेजा इस्तमाल करने के लिए कानूनन कतई अधिकृत नहीं है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर आरोपित आरोपो का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा प्रत्युत्तर निर्धारित अवधि मे प्रस्तुत नही करने पर जिला कलक्टर अजमेर के पत्रांक कअ/भू.अ./वि.जा./2022 दिनांक 14.03.2022 को स्मरण पत्र लिखा गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 24.03.2022 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया है। जिला कलक्टर अजमेर ने व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने से अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में

दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, अजमेर के दण्डादेश दिनांक 17.06.2022 को इस अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी कार्मिक को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर अजमेर का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर जिला कलक्टर अजमेर से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके द्वारा अपीलार्थी पर आरोपित आरोप को सिद्ध मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपनी अपील में वर्णित कथनों को ही कमोबेश दोहराते हुये निवदेन किया गया कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के पत्रांक पीए/कअ/2020/481 दिनांक 07.09.2022 की दैनिक सुनवाई का परिवाद होने से संबंधित पक्षकारो का पटवारी हल्का उदयपुर खुर्द द्वारा कार्य सम्पादित समय पर नही करने से परिवादी दिनांक 24.09.2020 को तहसील कार्यालय मे उपस्थित होने व पटवारी हल्का उदयपुर खुर्द के आकस्मिक अवकाश पर होने व परिवादी को राहत देने के क्रम मे ग्राम गोदियाना के नामान्तकरण संख्या 975, 976 व 977 सर्किल ऑफिसर (नायब तहसीलदार किशनगढ) के निर्देश के अनुसार हल्का पटवारी बीती द्वारा नामान्तकरण दर्ज किया गया है व श्री हिम्मत सिंह राठौड भू.अ. निरी. सिलोरा दिनांक 26.09.2021 तक अवकाश पर थे व दिनांक 27.09.2021 सोमवार को राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर पटवारी, भू.अ.निरीक्षक, व तहसीलदार सांकेतिक हडताल पर थे। दिनांक 28.09.2021 को श्री हिम्मत सिंह राठौड भू.अ.निरी. सिलोरा के कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व ही नामान्तकरण संख्या 977 मेरे समक्ष जांच हेतु प्रस्तुत करने पर ऑफिस कानूनगो के पद के हिसाब से उक्त नामान्तकरण की मेरे द्वारा जांच की गई है। ग्राम गोदियाना के नामान्तकरण संख्या 975, 976 व 977 की कार्यवाही उच्च अधिकारी सर्किल ऑफिसर (नायब तहसीलदार किशनगढ) के मौखिक निर्देश पर की गई है। उक्त नामान्तकरण को पटवारी द्वारा ग्राम पंचायत सिलोरा की मिटींग मे प्रस्तुत कर निर्णय करवाया गया। नामान्तकरण पदस्थापित पटवारी को दिनांक 18.10.2021 को देने पर जानकारी हुई की उक्त नामान्तकरणो मे प्रस्ताव संख्या का उल्लेख नहीं किया गया। नामान्तकरण संख्या 975 की पूर्व कार्यवाही मे तहसीलदार व नायब

तहसीलदार के अनुपस्थिति के दौरान संबंधित पटवारी हल्का को दिनांक 22.09.2021 को निर्देशित किया गया। उसमे किसी भी प्रकार की निहित स्वार्थो की पूर्ति हेतु काम नही किया गया। नायब तहसीलदार के मौखिक निर्देश पर पटवारी हल्का बीती द्वारा उक्त नामान्तकरण दायर किया गया है। अपीलार्थी ने व्यक्तिगत श्री हिम्मतसिंह दिनाक 26.09.2021 तक अवकाश पर थे तथा दिनाक 27.09.2021 को राजस्व सेवा परिषद् के आव्हान पर राजस्व कार्मिक तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर एवं पटवारी हड़ताल पर थे, तो हिम्मतसिंह ने इस दिनांक (27.09.2021) को किस प्रकार अपनी ज्वॉईनिंग पेश कर दी? वस्तुतः वे दिनाक 28.09.2021 को तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुये एवं पूर्व दिनाक में अपनी ज्वॉईनिंग रिपोर्ट पेश कर दी एवं तहसीलदार ने इसे स्वीकर कर लिया, जबकि वे स्वयं तहसीलदार हड़ताल पर थे। राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 60 में अवकाश का आरम्भ एवं अंत के बारे में स्पष्ट किया गया है कि साधारण अवकाश उस दिन से आरम्भ होगा, जिस दिन कार्यभार का स्थानान्तरण होता है तथा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व के दिन समाप्त हो जाता है। इस नियम के अनुसार हिम्मतसिंह को अवकाश पर प्रस्थान करने के एक दिन पूर्व एवं अवकाश से लौटने के दिन अपने कार्यभार का हस्तान्तरण बाकायदा चार्ज का आदान–प्रदान कर करना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया जो अनिवार्य है। यदि हिम्मतसिंह दिनांक 27.09.2021 को बीमारी के बाद अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित हो गये थे, तो उनको एवजी कार्य करने वाले कार्मिक से कार्यभार ग्रहण करना चाहिए था, जो नहीं किया गया एवं इसके अभाव में अपीलार्थी को इस बात की जानकारी नहीं हुई कि हिम्मतसिंह अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित हो गये है। प्रार्थी ने दिनांक 28.9.2021 को नामांतरकरण तस्दीक कर दिये, इसमें प्रार्थी का कोई स्वार्थ निहित नहीं था। अतएव ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 17.06.2022 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी, व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कार्मिक को जारी आरोप पत्रों एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो एवं व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि नामान्तकरण एक सरसरी फिस्कल प्रक्रिया है जो भू राजस्व वसूली के लिए महत्वपूर्ण कसौटी है। इस प्रक्रिया मे प्रार्थी ने जानबूझकर अपने निहित स्वार्थो की पूर्ति के लिए ऐसा कोई कृत्य नही किया है, जिसके लिए प्रार्थी को दण्डित किया जा सके। जिला कलक्टर अजमेर ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार व

नजर अन्दाज कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने से विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 17.06.2022 अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी श्री नरेश कुमार जैन, ऑफिस कानूनगो, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर के विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर अजमेर की अपील सारयुक्त होकर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त/ड्रॉप किया जाता है तथा जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 17.06.2022 विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(भंवर लाल मेहरा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर